

राजस्थान सरकार
शिक्षा-विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प. 9(युवा कौशल)अकाद/निकाशि/13/510

दिनांक 20 सितम्बर 2013

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- युवा कौशल विकास के सम्बन्ध में।
संदर्भ- निदेशालय का समसंख्यक पत्रांक: 55 दिनांक 29 जुलाई 2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों को एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवरिंग-रेंजरिंग/वाई.डी.सी./महिला प्रकोष्ठ/मानवाधिकार प्रकोष्ठ आदि की गतिविधियों को पूर्ण निष्ठा तथा विद्यार्थियों के सहयोग से संचालित करने हेतु निदेशालय के परिपत्र क्रमांक: एफ 7 (4) प्रवेशनीति/अकाद/2013/152 दिनांक 23.4.2013 के निर्देश दिये गये थे। जिसकी अनुपालना करने हेतु निदेशालय के संदर्भित समसंख्यक पत्रांक: 55 दिनांक 29 जुलाई 2013 के तहत अंतिम अवसर के तहत निदेशालय को सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया था। किन्तु यह सूचना काफी महाविद्यालयों से अभी तक निदेशालय को प्राप्त नहीं हुई है।

कृपया इसे अति-आवश्यक समझें तथा दिनांक 30 सितम्बर 2013 तक निदेशालय में सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ. शैला महान)
समन्वयक,
युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

क्रमांक प. 9(युवा कौशल)अकाद/निकाशि/13/510

दिनांक 20 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय कालेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।


समन्वयक,